

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

सूचिका सं. CICOM/R/2018/00350

दिनांक 12.04.2018

सेवा में,

श्री भजनलाल, पुत्र - श्री चुनीराम ढाका,
गांव - जनाणा, त0 - भादरा,
जिला - हनुमानगढ़,
राजस्थान - 335511.

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 26.03.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो दिनांक 03.04.2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ (डायरी सं. 121153) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 04.04.2018 को प्राप्त हुआ से संबंधित बिंदुवार सूचना निम्नांकित है:-

बिंदु सं. 1	सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के आवेदकों के लिए सूचना प्राप्ति हेतु कोई शुल्क देय नहीं है ।
बिंदु सं. 2	आपने केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा धारित कोई सूचना नहीं मांगी है, बल्कि प्रश्न पूछे हैं जो कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) में परिभाषित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है ।
बिंदु सं. 3	सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित नियमों की जानकारी हेतु सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 http://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf में एवं इंटरनेट में आसानी से उपलब्ध है, जहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

अशोक कुमार शर्मा

(ए. के. शर्मा)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,

आर.टी.आई.सेल

दूरभाष - 011-26172690

